न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 119/2023 दर्ज तिथिः– 18.12.2023

1. छगन लाल पुत्र परभाती जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ तहसील महवा जिला दौसा
2. नत्थो पुत्री परभाती पत्नि कैलश जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा हाल निवासी भरतपुर जिला भरतपुर
3. नरेश महावर पुत्र रामखिलाडी जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ तह. महवा
4. प्रकाश चन्द महावर पुत्र रामखिलाडी जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ तह. महवा
5. रिंकेश महावर पुत्र रामखिलाडी जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ तह. महवा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरज पुत्र मूला जाति कोली निवासी रामगढ हाल निवासी यूनियन बैंक के पास रामगढ रोड महवा तहसील महवा जिला दौसा
2. कुलदीप पुत्र सूरज जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा
3. चन्द्रकान्त पुत्र सूरज जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा
4. गीता पत्नि सूरज जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा

..... अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री हरिशंकर सिंह
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री सतीश चन्द मीना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय ::–

निर्णय तिथि :– 12.05.2025

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त

CamScanner

इस प्रकार से है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजीयात खाता संख्या 48 के खसरा 289 रकबा 0.59 हैक्टेयर पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है। बंटवारा नही होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 प्रार्थीगण को आये दिन हैरानव परेशान करते है। आये दिन डोलमेड तोडते रहते है जिससे हमेशा अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। वाक्या दिनांक 10.10.2023 का है कि प्रार्थीगण आगामी फसल की तैयारी करने गये तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 वहां आ धमके। प्रार्थीगण ने डोलमेड तोडने की कहा तो एकदम आग बबूला हो गये कहने लगे हम तो ऐसे ही तोडेंगे। प्रार्थीगण ने मिल बैठकर तकास्मा कराने की कहा तो इन्कार कर दिया और दीगर व्यक्तियों को आराजी बेचान करने की कहा। इसलिये डोलमेड तोडने व बंटवारा नही कराने की वजह से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ है। यदि अप्रार्थीगण अपने मंसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नही होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री सतीश चन्द अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 05 के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम अकबरपुर का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी है। पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा नही होने के कारण विवाद है। विधिक तकास्मा नही होने तक यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण की हिस्से की आराजी पर अप्रार्थीगण कब्जा कर अन्य किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान कर सकते और प्रार्थीगण की आराजी को हडप सकते है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

<u>अतः आदेश यह है कि</u> :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजीयात खाता संख्या 48 के खसरा 289 रकबा 0.59 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्से तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner